रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102023-249356
CG-DL-E-12102023-249356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4275]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945
No. 4275]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4446(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और उपखंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2275 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2275 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 में संशोधन करने के लिए नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 2275 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, पैरा 5 में, क्रम संख्यांक (क) और (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(क) मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पंजाब सरकार – अध्यक्ष;

(ख) उप-आयुक्त, पटियाला (पंजाब) - सदस्य;"।

[फा. सं. 25/36/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2275 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

S.O. 4446(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2275(E), dated the 1st July, 2016;

And Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2275 (E), dated the 1st July, 2016;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) number S.O. 2275 (E), dated the 1st July, 2016, namely:-

In the said notification, in paragraph 5, for serial numbers (a) and (b) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"(a) Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Punjab – Chairman;

(b) Deputy Commissioner, Patiala (Punjab) – Member;".

[F. No. 25/36/2014-ESZ/RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2275 (E), dated the 1st July, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.12 21:03:06 +05'30'